प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक- 09 अप्रैल, 2019

विषयः-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन करने हेतु कुल रूपये-7,76,48,21,000/- की धनराशि निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9495/बजट 2019-20, दिनांक-01.04.2019 के सन्दर्भ में एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस- 2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के राजस्व लेखा शीर्षक 2056-जेलें पक्ष में संलग्न विवरण के अनुसार कुल रु0-7,76,38,21,000/- (रुपये सात अरब छिहत्तर करोड़ अड़तीस लाख इक्कीस हजार मात्र) एवं रुपये-10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) भारित अर्थात कुल रु0-7,76,48,21,000/- (रुपये सात अरब छिहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक-06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अधीनस्थ कार्यालयों को मासिक उपयोग के आधार पर धनराशि आवंटित की जाय, ताकि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना संभव हो सके।

(3) आवंटन आदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित किये जायं। विशेष परिस्थिति में यदि अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है तो समुचित कारण बताते हुए शासन की अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आवंटन किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) मानक मद 43-सामग्री सम्पूर्ति में उपलब्ध बजट प्राविधान इस निर्देश के साथ आपके निवर्तन पर रखा जा रहा है कि कोई भी क्रय समय समय पर वित्त विभाग तथा उद्योग विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा। किसी भी दशा में नियमों का किसी स्तर पर उल्लंघन न किया जाय।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाय कि व्यय सम्बन्धी स्थाई वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही धनराशि का व्यय किया जाय और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019, जो आपको भी पृष्ठांकित है, में प्रदत्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) बन्दियो को श्रम के एवज में दी जाने वाले मजदूरी, जलकर/जलप्रभार एवं विद्युत देय की मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व से लम्बित दायित्वों का यथासम्भव भुगतान इस प्रकार प्राथमिकता का निर्धारण करते हुये कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की आवश्यतायें भी यथासम्भव मीटआउट हो जायें, किया जायेगा।

(8) डिपाजिट कार्यों के लिये प्राप्त धनराशियॉ सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटेन्स लेखा शीर्ष '8782' में जमा करके वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए0-2-47/दस-97-दस (9)/95 दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

(9) राजकीय विभागों/कार्यालयों के पी0एल0ए0 में योजनाओं की धनराशि जमा नहीं की जायेगी। यदि धनराशि किसी ऐसी कार्यदायी संस्था को दी जानी है जिसका कोषागार में डिपाजिट खाता है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि आहरित धनराशि सम्बन्धित संस्था के डिपाज़िट खाते में जमा की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार व्यय के लिये धनराशि का आहरण डिपाज़िट खाते से किया जायेगा।

(10) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियॉ यथासंभव एक बार में ही जारी की जायं तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति न दी जाय। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फ़ेजिगं का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जाय, जो सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

(11) कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में 15 डिजिट कोड सहित लेखाशीर्षक, भारित और अनुदान संख्या का उल्लेख किया जायेगा।

(12) बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार महानिरीक्षक कारागार इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के अन्तर्गत रखा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-25 के अन्तगत संलग्न विवरण में उल्लिखित मदों के नामे डाला जायेगा और इन मदों में उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 में प्रशासनिक विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-31/2019/319(1)/22-4-2019-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल-आडिट), उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/**द्वितीय**, उ.प्र.,इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ **द्वितीय**, उ.प्र.,इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-31/2019/319/22-4-2019-102(ब)/18, दिनांक- 09 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

राजस्व लेखा - (धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक 2056-जेले-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 मुख्य

01-वेतन	1201.74
03-मंहगाई भत्ता	180.26
04-यात्रा व्यय	5.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
06-अन्य भत्ते	2.50
07-मानदेय	0.01
08-कार्यालय व्यय	12.00
09-विद्युत देय	56.00
10-जलकर/जलप्रभार	6.35
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	6.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
13-टेलीफोन पर व्यय	10.00
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	40.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाआं के लिए भुगतान	2.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	9.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.20
23-गुप्त सेवा व्यय	1.00
29-अनुरक्षण	6.00
42-अन्य व्यय मतदेय	0.50
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	400.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.00
49-चिकित्सा व्यय	20.00
51-वर्दी व्यय	0.75
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	88.73
55-मकान किराया भत्ता	106.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

56-नगर प्रतिकर भत्ता	18.75
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00
योग-	2189.54
भारित	10.00

<u>लेखाशीर्षक 2056-जेले-101-जेल-03-समस्त कारागार</u>

01-वेतन	37332.50
02-मजदूरी	3000.00
03-मॅहगाई भत्ता	5599.88
04-यात्रा व्यय	12.60
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25.00
06-अन्य भत्ते	50.00
07-मानदेय	0.65
08-कार्यालय व्यय	7.50
09-विद्युत देय	4500.00
10-जलकर/जल प्रभार	40.00
11 लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	16.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00
13-टेलीफोन पर व्यय	100.00
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0.00
15-गाड़ियो का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	40.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20.00
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	142.42
29-अनुरक्षण	355.10
39-औषधि तथा रसायन	1000.00
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	56.00
41-भोजन व्यय	17500.00
42-अन्य व्यय	1200.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	8.40
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	35.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.00
49-चिकित्सा व्यय	120.00
51-वर्दी व्यय	2.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2400.81
55-मकान किराया भत्ता	700.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	100.00
57-प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	33.75
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00
योग-	74413.11

लेखाशीर्षक 2056-जेलें-102-जेल उत्पाद-03-समस्त कारागार

02-मजदूरी	35.00
15-गाड़ियो का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	3.30
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	12.90
42-अन्य व्यय	4.00
43-सामग्री एव सम्पूर्ति	600.00
योग-	655.20

लेखाशीर्षक-2056-जेलें-800-अन्य व्यय-03-कारागार प्रशिक्षण **विद्यालय** -

01-वेतन	243.79
02-मजदूरी	1.00
03-मॅहगाई भत्ता	36.57
04-यात्रा व्यय	0.30
05-स्था. यात्रा व्यय	0.25
06-अन्य भत्ते	2.00
08-कार्यालय व्यय	1.50
09-विद्युत देय	30.00
10-जलकर/जल प्रभार	0.05
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.30
15-गाड़ियो का अनुरक्षण और पैट्रोल क्रय	1.50
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	3.00
26-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	2.00
29-अनुरक्षण	10.00
42-अन्य व्यय	6.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.20
49-चिकित्सा व्यय	2.00
51-वर्दी व्यय	0.15
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	15.25
55-मकान किराया भत्ता	11.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	2.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00
योग-	380.36
कुल योग- मतदेय भारित	77638.21 10.00
महायोग-	77648.21
(रूपया सात अरब छिहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख इक्कीस हजार मात्र)	

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।